

तारीख  
हुक्म

हुक्म या पत्र

10-2-22

पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब के कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक 24.5.22 को पेश हो।

24.5.22

पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक 28-7-22 को पेश हो।

28/7/22

पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक 29.9.22 को पेश हो।

29/9/22

वकील जार्जी अ. विपरीतगण की रजिस्टर्ड नोटिस तामिली पूर्व में जारी हो रही है जो पर्याप्त तामिली प्रेणी में न्यायक्षेत्र में सुनवाई का एक अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते विपरीत इन्तजार होकर दि. 22/11/22 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा

22/11/22

पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक 24/11/2023 को पेश हो।

24/11/22

प्रकारान के अधिवक्ता उप/अनु/पीठसीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं पत्रावली वास्ते - विपरीत इन्तजार दिनांक 22.3.2022 को पेश हैं।

22/3/2023

वकील प्रतीगण उपस्थित। मूलवाद के अतिमात्रा विपरीत पक्ष को विरुद्ध प्रकरणा कार्यावली सुपुल में जारी जाती है वकील प्रतीगण

68/2020

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियत्य जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुक्म  
की तामील में जारी हुए

की वदत बुनी गई और पट्टा पर  
गवन बिना तथा पत्रावली का तामील  
पूर्वक अवलोकन किया। पता कि वादीगण  
की ओर से फिर्काईत सूत्रि को चुनने  
वतते हुए वारीलाड की हलियत ले  
ले रवातेदारी घोषणा करवाने की मुद्दा  
इलतुकी पाली गई है, जो मुद्दा में  
रवातेदारी के अन्तर्गत ली घोषणा  
की वादीगण राहत प्राप्त करने के हार्थक  
है कन्वया नहीं। लेकिन इलतगत अन्त  
में जारी स्वयं अदेश को मुद्दा  
के निर्णय तक जारी रखा उचित  
उचित होता है, ताकि पत्रकाण्ड के  
मध्य अन्ते ओर विवाद नहीं रहे।  
ऐसी शरत में न्यायालय द्वारा जारी  
स्वयं अदेश को कन्वया किया  
जाय उचित उचित होता है।

जिसका वादीगण का आवेदन-पत्र  
स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा  
जारी स्वयं अदेश दिनांक 25.6.2020  
को मुद्दा के निर्णय तक कन्वया  
किया जाता है।

अदेश कडुगादा गमा।  
पत्रावली केवल कडुगादा हो।  
वाखिल-पत्रावली हो।

दिनांक

सहायक कलक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा